दिनांक 2 जनवरी, 1987

सं०ओ०वि०/कुरुक्षेत्र/28-86/139.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, कैथल, के श्रमिक श्री दीवाकर शर्मा, हैल्पर, पुत्र श्री बालकिशन शर्मा, निवासी खादी भवन गोल मार्किट, नीलोखेड़ी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री दीवाकर शर्मा, पुत्र श्री बालकिशन शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/कुरुक्षेत्र/17-86/146.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी शाहबाद को-ओपरेटिव शूगर मिल्ज लि०, शाहबाद मारकण्डा, के श्रमिक श्री कमला सिंह, मार्फत मधुसूदन शरन कोशिश, लठमारा स्ट्रीट जगाधरी, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री कमला सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/कुरुक्षेत्र/20-86/152.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मैनेजिंग डायरैक्टर, दी शाहबाद कोपरेटिव शूगर मिल्ज लिमिटिड, शाहबाद मारकण्डा, के श्रमिक श्री शिव नरैण प्रसाद, मार्फत मधुसूदन सरन कोशिश, लठमारा स्ट्रीट, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)-84-3-श्रम दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उसके सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री शिव नरैण प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 9 जनवरी, 1987

सं० ओ० वि०/सोनीपत/150-86/162.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० सरदार सोलवेण्ट इण्डस्ट्रीज, जी०टी० रोड, कुण्डली, सोनीपत, के श्रमिक श्री सरदारी प्रसाद, मार्फत आल इण्डिया जनरल कामगार यूनियन (रजि०) कार्यालय, जी.टी. रोड, प्याऊ मनियारी, कुण्डली, सोनीपत तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है:—

क्या श्री सरदारी प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/भिवानी/95-86/208.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़. (2) कार्यकारी अभियन्ता (अप्रेशन डिवि०) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, नरवाना, जींद, के श्रमिक श्री ओम प्रकाश स्वामी मार्फत श्री के० के० नैयर एच०एस०ई०बी०, स्टाफ यूनियन, 161/III, विद्युत नगर, हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछिनीय समझते हैं ।

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री ओम प्रकाश स्वामी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 9 जनवरी, 1987

सं० ओ० वि० /कुरुक्षेत्र/ 30-86//1134.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, कैथल, के श्रमिक श्री इन्द्रपाल, पुत्र श्री राम स्वरूप, 344/14, गोबिन्द नगर कालोनी, पेहोवा रोड, कैथल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ।

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री इन्द्रपाल चालक, पुत्र श्री रामस्वरूप, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/पानी/23-86/1153.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) प्रबन्धक निदेशक हरियाणा स्टेट कोपरेटिव लैंड डिवलमैंट बैंक लि०, चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री बस राज, पुत्र श्री गोबिन्द राम, गांव व डा० बापोली तहसील पानीपत, जिला करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बसराज की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,
उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।